

**प्रेस विज्ञप्ति****थाना अतरौलिया****किशोरी के साथ दुष्कर्म करने व उसके सहयोगी सहित 03 आरोपी गिरफ्तार****पूर्व का विवरण –**

वादी मुकदमा थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ के 156(3) सीआरपीसी के प्रा0पत्र के आधार पर मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में वादी मुकदमा की नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष को विपक्षी 1.शुभम वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा ग्राम तकिया थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर 2.औरंगजेब पुत्र रियाज सा0 अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3. प्रमोद वर्मा पुत्र रामलगन वर्मा सा0 कोहड़ा पाण्डेय थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गये है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 421/23 धारा- 363,366,506 IPC बनाम 03 नफर पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 पारसनाथ यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है दौराने विवेचना पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी व 164 सीआरपीसी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 376,120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियोग उपरोक्त की अग्रिम विवेचना अभियुक्त शुभम वर्मा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363,366,376,506,120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व अभियुक्त औरंगजेब व प्रमोद वर्मा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363,366 ,506,120 बी भादवि में प्रचलित है।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

दिनांक 28.01.24 को उ0नि0 पारसनाथ यादव मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.शुभम वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा ग्राम तकिया थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर 2.औरंगजेब पुत्र रियाज सा0 अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3. प्रमोद वर्मा पुत्र रामलगन वर्मा सा0 कोहड़ा पाण्डेय थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर को नंदना बाजार अतरैठ बाजार से समय करीब 08.25 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

**पंजीकृत अभियोग –**

1-मु0अ0सं0 421/23 धारा 363,366,376,506,120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

1- शुभम वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा सा0 सारंगपुर तकिया थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 421/23 धारा 363,366,376,506,120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

2- गिरफ्तार अभियुक्त औरंगजेब पुत्र रियाज सा0 अतरैठ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

1-मु0अ0सं0 421/23 धारा 363,366,506,120 बी भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

3- प्रमोद वर्मा पुत्र रामलगन वर्मा सा0 कोहड़ा पाण्डेय थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

अपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0 421/23 धारा 363,366,506,120 बी भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –**

थानाध्यक्ष सविन्द्र राय के नेतृत्व में उ0नि0 पारसनाथ यादव 2. हे0का0 संदीप यादव 3. का0 मो0 रिजवान 4. का0 शिवकुमार चौधरी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़